न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 79/2020

दायर दिनांक–29.06.2020

1. सुवालाल पुत्र हणमानाराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. सोहनलाल पुत्र हणमानाराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. ख्यालीराम पुत्र हणमानाराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. रघुवीर सिंह पुत्र हणमानाराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. लच्छी देवी पत्नी हणमानाराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. प्रभूदयाल पुत्र हरजीराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. मोती पुत्र हरजीराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. बाबूलाल पुत्र हरजीराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. धापू देवी पत्नी हरजीराम जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. बजरंगलाल पुत्र सांवरमल जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. प्रहलादराम पुत्र सांवरमल जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. मनीराम पुत्र सांवरमल जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. छोटेलाल पुत्र सांवरमल जाति कुमावत निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनू राज.।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री सज्जन कुमार चाहर**
वकील प्रति॰ नं॰ : – **एकपक्षीय**

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

दावा : घोषणार्थ [illegible] दुरूस्[illegible]

–: **निर्णय** :–

दिनांक– 12–09–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम टोंकछीलरी तहसील नवलगढ की सरदह में भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना 28 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 रकबा क्रमशः 0.91, 0.06, 0.08, 0.07, 0.05, 0.06, 0.30, 0.36, 0.07, 0.01, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.01, 1.33, 0.03 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 3.63 हैक्टर स्थित है

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

जो कि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक शामालाती कृषि भूमि है। उपरोक्त भूमि पूर्व में उदाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्जशुदा थी तथा उपरोक्त भूमि का उदाराम ही खातेदार काश्तकार था।

वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है, जिसका खातेदार पूर्व में उदाराम था। उदाराम का सम्पूर्ण भूमि में 43/363 यानि 0.43 हैक्टर भूमि का हिस्सा दर्ज था। उदाराम के फौत होने पर उसकी खातेदारी की भूमि के खातेदारी अधिकारी उनके पुत्र हरजीराम, सांवरमल, हणमानाराम में क्रमशः 0.1433 हैक्टर प्रत्येक के हिस्से की खातदेारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने गलती से उदाराम के फौत होने पर उदाराम के वारिसान हरजीराम, सांवरमल, हमणमाना के नाम दर्ज नही कर उदाराम के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि केवल एक ही पुत्र हरजीराम के नाम दर्ज कर दी गई जो कि सही दर्ज नहीं की गई। मौके पर उदाराम के वारिसों का बराबर–बराबर हिस्से पर कब्जा काश्त है।

वाद–पत्र की मद संख्या 01 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना 28 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 रकबा क्रमशः 0.91, 0.06, 0.08, 0.07, 0.05, 0.06, 0.30, 0.36, 0.07, 0.01, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.01, 1.33, 0.03 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 3.63 हैक्टर भूमि मे से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पूर्व उदाराम का हिस्सा 43/363 यानि 0.43 हैक्टर में से उदाराम के फौत होने पर उनके वारिसान हरजीराम, सांवरमल, हणमानाराम के हिस्से में प्रत्येक हिस्सा 0.1433–0.1433 हैक्टर भूमि आनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड उदाराम के एक ही पुत्र हरजीराम के नाम से दर्ज कर दिया गया। उदाराम के जायन्दा संतान हणमानराम, हरजीराम, सांवरमल तीनो फौत हो चुके है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 05 जो हणमान के वारिसान है का हिस्सा 0.1433 हैक्टर, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 जो कि हरजीराम के वारिसान है का हिस्सा 0.1433 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 जो कि सांवरमल के वारिसान है का हिस्सा 0.1433 हैक्टर भूमि का हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व रिकार्ड गलत होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगणो पर अधिकारो से वंचित होने से इसी प्रकार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण की ओर वाद–पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वाद बहस वादीगण व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वाद–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम टोंकछीलरी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना 28 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 रकबा क्रमशः 0.91, 0.06, 0.08, 0.07, 0.05, 0.06, 0.30, 0.36, 0.07, 0.01, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.01, 1.33, 0.03 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 3.63 हैक्टर में से वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा शेष रिकार्ड यथावत रखा जावे। अन्य कोई सिद्धि चाही जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो, परिवादी को दिलवाई जावे।

वादीगण की ओर से वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से प्रर्याप्त होने पर इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही में अमल में लाई गई।

हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण [illegible] 22.03.2[illegible] पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है जिससे प्रकरण में प्रतिवादीगणों की ओर से [illegible] प्रतिर[illegible]तुत नही की गई है जिसके फलस्वरूप प्रकरण में तनकीयात [illegible]

शहादत वादी में वादी स्वयं सो[illegible] उपस्थित न्यायालय हाजा होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ[illegible] शहादत वादी पेश करना जाहिर नही किया। शहादत वादी बंद की जाती है। वादीगणों ने [illegible] वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात् प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी सम्वत् 2047–2050, प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी सम्वत् 2051–2054, प्रदर्श–5 नकल जमाबंदी सम्वत् 2051–2054, प्रदर्श–6 नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–2058, प्रदर्श–7 नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2058, प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी आधार वर्ष 2058, प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–2068, प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2026–2029, प्रदर्श–9 नकल जमाबंदी सम्वत् 2022–2025, प्रदर्श–10 नकल जमाबंदी सम्वत् 2018– 2021 आदि प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से शहादत प्रतिवादी नहीं ली गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested

(15)

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वादीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किय गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाद–पत्र की मद संख्या 01 मे वर्णित भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना 28 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 रकबा क्रमशः 0.91, 0.06, 0.08, 0.07, 0.05, 0.06, 0.30, 0.36, 0.07, 0.01, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.01, 1.33, 0.03 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 3.63 हैक्टर ग्राम टोंकछीलरी में स्थित होना प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2075 से प्रमाणित है। उक्त विवादित भूमि पैतृक भूमि है। विवादित भूमि पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 08 के पूर्वज उदाराम के नाम से जमाबंदी सम्वत् 2022–2025, 2026–2029 में दर्ज खातेदारी में हिस्सा 0.43 हैक्टर थी। उदाराम के तीन जायंदा संतान हरजीराम, सांवरमल, हणमानाराम है। उदाराम के फौत होने पर उदाराम के हिस्से की भूमि तीनो पुत्रो के नाम दर्ज होनी थी जबकि उदाराम के फौत होने पर केवल हरजीराम के नाम से नामान्तकरण किया जाकर उक्त भूमि अकेले हरजीनाम के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई तथा सांवरमल एवं हणमानाराम को बिना किसी आदेश के वंचित रख दिया गया। भूमि मे से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के पूर्व उदाराम का हिस्सा 43/363 यानि 0.43 हैक्टर में से उदाराम के फौत होने पर उनके वारिसान हरजीराम, सांवरमल, हणमानाराम के हिस्से में प्रत्येक हिस्सा 0.1433–0.1433 हैक्टर भूमि आनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व रिकार्ड उदाराम के एक ही पुत्र हरजीराम के नाम से दर्ज कर दिया गया। उदाराम के जायन्दा संतान हणमानराम, हरजीराम, सांवरमल तीनो फौत हो चुके है। इस प्रकार विवादित भूमि में वादीगण संख्या 1 लगायत 05 जो हणमान के वारिसान है का हिस्सा 0.1433 हैक्टर, प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 जो कि हरजरीराम के वारिसान है का हिस्सा 0.1433 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 जो कि सांवरमल के वारिसान है का हिस्सा 0.1433 हैक्टर भूमि का हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। परन्तु राजस्व रिकार्ड गलत होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगणो पर अधिकारो कुठाराधात हुआ है। फलस्वरूप इसी प्रकार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 की विवादित भूमि शामलाती खातेदारी की पैतृक भूमि होना साबित होती है। पैतृक भूमि में सभी वारिसों का बराबर बराबर हिस्सा है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। फलस्वरूप वादी वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादीगण साबित पाये जाने के फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि भूमि ग्राम टोंकछीलरी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना 28 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 रकबा क्रमशः 0.91, 0.06, 0.08, 0.07, 0.05, 0.06, 0.30, 0.36, 0.07, 0.01, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.01, 1.33, 0.03 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 3.63 हैक्टर में से वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष रिकार्ड यथावत रखा जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। [illegible] डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–09–2022 को खुले न्यायालय में [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:[illegible] IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(16)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 79/2020 **(सुवालाल आदि बनाम प्रभूदयाल आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 12.09.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके भूमि ग्राम टोंकछीलरी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 277 पुराना 28 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 रकबा क्रमशः 0.91, 0.06, 0.08, 0.07, 0.05, 0.06, 0.30, 0.36, 0.07, 0.01, 0.09, 0.06, 0.07, 0.07, 0.01, 1.33, 0.03 हैक्टर कुल किता 17 कुल रकबा 3.63 हैक्टर में से वादीगण नम्बर 1 लगायत 5 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर, प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 8 को हिस्सा 0.1433 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष रिकार्ड यथावत रखा जाता है। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 12.09.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:27:14 IST
Reason: SelfAttested